न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 28/22

GCMS NO 2022/61

1. हनुमान पुत्र नानगा
2. लखपत पुत्र नानगा
3. धापू पत्नि नानगा जातियान प्रजापत कुम्हार निवासीयान रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र चतरू
2. ध्यानदास पुत्र हंसा
3. बाबू पुत्र हंसा
4. जगन्नाथी पत्नि हंसा जातियान मीना निवासीयान रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. प्रदीप चौधरी कान्ट्रेक्टर हाल निवासी रामडी तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 47/21 निर्णय दिनांक 23.5.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

दिनांक 28.4.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.5.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि वाके ग्राम रामडी के खाता संख्या 236 मे अंकित ख0न0 27 रकबा 0.30 है0, 28 रकबा 0.04 है0, 29 रकबा 0.18 है0, 30 रकबा 0.15 है0, 31 रकबा 0.15 है0, 32 रकबा 0.44 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 है0 राजस्व जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 की प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रकबा है। प्रार्थीगणो ने ख0न0 30.31 व 32 मे 10 वर्षो से अमरूद का बगीचा लगा रखा है एवं ख0न0 28 मे पुख्ता मकान बना रखा है। भू प्रबंध विभाग ने प्रार्थीगणो के कब्जे की भूमि एक चक के रूप मे होते हुए भी बिना किसी अधिकार के ख0न0 31 रकबा 0.15 है0 को जानबूझकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर ख0न0 31 मे अमरूदो का बगीचा लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा ग्राम रामडी से कावड जाने के लिए ग्रामीणो की सुविधा के लिए रोड बनाने की स्कीम प्र[illegible]। इसी उद्देश्य से पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगणो के भौतिक कब्जे की भूमि का मौका देखा [illegible] दिनांक 21.6.21 को प्रार्थी संख्या ने राजस्व टीम व अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष [illegible] देखा कि हाल ट्रेस मे [illegible] लाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:50 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से दर्शित भूमि मे होकर लिंक रास्ता वनाने के लिए प्रस्ताव रखा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 विना किसी अधिकार के प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के वारे मे विवाद करने लगे एवं ऐलानिया कहा कि प्रार्थीगणो के स्वामित्व की भूमि ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 पर लठठ के जोर पर कब्जा करके रहेगे। प्रार्थीगण द्वारा कहा कि रोड प्रार्थीगण के मकान के पीछे होकर निकाला जाता है जो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशानी नही है। इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 28 व 31 मे होकर रास्ता नही निकाले तथा प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि ख0न0 27,29 व 30 मे लाल रंग से दर्शित भूमि मे होकर ही रोड का निर्माण करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलव किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की स्वामित्व की कृषि भूमि ख0न0 27 रकबा 0.30 है0, 28 रकबा 0.04 है0, 29 रकबा 0.18 है0, 30 रकबा 0.15 है0, 31 रकबा 0.15 है0, 32 रकबा 0.44 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 है0 मौके पर एक चके के रूप मे स्थित है। भू प्रवंध विभाग ने गलत तरीके से ख0न0 31 रकबा 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता जमाबंदी मे दर्ज कर रखा है जिसकी दुरूस्ती का प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। अपीलांट के स्वामित्व की भूमि से रेस्पो0 का कोई संबंध वास्ता नही है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट रूप से अंकित किया कि अपीलांट के खेत ख0न0 29,30,31 व 32 मे लगभग 8 वर्ष से बगीचा लगा रखा है इसलिए ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 मे होकर नवीन रोड बनाया जाता है तो अपीलांट को किसी तरह की कोई आपत्ति नही है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के शपथ पत्रा की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे नाम मात्र की सत्यतान ही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम रामडी के हाल खाता संख्या 236 मे अंकित भूमि ख0न0 [illegible] 31 व 32 के कब्जे काश्त मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। खसरा न0 27,29,30 मे होकर नवीन रास्ता बनाया जाता है तो अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि खसरा न0 75 रकबा 0.48 है0 अप्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है तथा उसी के सहारे ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 भूमि पर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 का पिछले 100 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के चारो तरफ रेस्पो0 द्वारा तार फेंसिंग करवा रखी है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण ने खसरा न0 30 रकबा 0.15 है0 जो रास्ते की भूमि है जिस पर जबरन अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्व कर रखा है। खसरा न0 30 की भूमि आम रास्ते की भूमि है। जबकि खसरा न0 27 रकबा 0.30 है0 रेस्पो0 के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर रेस्पो0 का पिछले 100 वर्षो से कब्जा काश्त है जिसकी काश्त का अंकन खसरा परिवर्तनशील मे रेस्पो0 एवं उनके पिता के नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 भूमि पर प्रार्थीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलांट रेस्पो0 की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से असत्य तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया है। कृषि उपज मण्डी खसरा न0 30 रकबा 0.15 है0 जो कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जिसमे सडक बनाना चाहते है जिसमे प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा व्यवधान पैदा किया जाता है। प्रार्थीगण/अपीलांट रेस्पो/अप्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 मे होकर जबरन सडक निकलावाने पर आमादा है जिसका अपीलांट को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को आवंटन होने के पश्चात से आज तक कब्जा प्राप्त नही कर काश्त नही की गई है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पो0 को हेरान परेशान करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट के कथन अनुसार अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात ख0न0 31 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम रामडी को भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने पर उसकी दुरूस्ती हेतु वाद अधिनस्थ न्यायालय पेश किया जाना एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज ख0न0 31 रकबा 0.15 है0 मे से ग्राम रामडी से कावड जाने हेतु कृषि उपज मंडी द्वारा प्रस्तावित रास्ता बनाये जाने के कारण रेस्पो/अप्रार्थीगण को उक्त भूमि ख0न0 31 मे से रास्ता नही निकालने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। चूकिः अपीलांट उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी की आराजीयात होने का दावा करते है इसी प्रकार रेस्पो/अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने का दावा करते है। भूमि खसरा न0 31 किसकी खातेदारी की भूमि है इसका निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद पत्र मे साक्ष्य के उपरान्त तय किया जावेगे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

...अधिनस्थ न्यायालय आदेश ...

जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 मे खसरा न0 31 रकबा 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष मे फाईमाफेसी केस साबित नही होता है । रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अत:अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 47/21 मे पारित निर्णय दिनांक 23.5.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested